

पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार जाटव आर.ए.एस.

दावा संख्या : 73/2018

1. मांगीलाल पिता भोजा जी गुर्जर निवासी गोविन्दपुरा
  2. कालू पिता भोजा जी गुर्जर निवासी गोविन्दपुरा
- वादीगण

बनाम

1. गोवर्धन पिता भागचन्द्र गुर्जर निवासी गोविन्दपुरा
  2. रामचन्द्र पिता गौरीलाल गुर्जर निवासी गोविन्दपुरा
  3. रामबक्ष पिता कजोड जी गुर्जर निवासी गोविन्दपुरा
  4. शैतान माता कौशल्या नाना कजोड जी गुर्जर निवासी खोखरा
  5. केशीबाई पिता भज्जा जी गुर्जर निवासी गोविन्दपुरा
  6. धर्मकुमार पिता मनोहरलाल जैन निवासी चेची
  7. बगदीराम पिता नन्दा जी गुर्जर निवासी गोविन्दपुरा
  8. श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगू
  9. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय प्रतिनिधि राज० सरकार
- प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री सत्यनारायण माली  
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक :- 05.01.2021

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गतधारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर वाद पत्र अध्या. 53-88 राज.काश्त. अधि. का प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम गोविन्दपुरा प.ह. गोविन्दपुरा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की निम्न कृषि आराजीयात स्थित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
297	0.0240
298	0.0160
358	0.0810
359	0.0650
366	0.2430
370	0.0970
371	0.3080
372	0.3160
375	0.1210
376	0.1280
377	0.2180
381	0.4050
384	0.4130
385	0.4700
387	0.0240
388	0.0320
389	0.0320
414	0.5510
661	0.5340
662	0.4700
724	0.1380
725	0.1290
726	0.1290



23 4.9150 हैक्टर

ग्राम गोविन्दपुरा के खाता संख्या 135 में आराजी संख्या 658 रकबा 0.4860 हैक्टर तथा खाता संख्या 140 में आराजी संख्या 659 रकबा 0.5430, 660 रकबा 0.6710 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात खाता संख्या 134 में स्थित आराजी संख्या 297, 298, 358, 359, 366, 370, 371, 372, 375, 376, 377, 381, 384, 385, 387, 388, 389, 661, 662, 724, 725, 726 में वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/12 व आराजी संख्या 414 रकबा 0.551

12 हक हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का जमाबंदी में अंकित हक हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि का मौके पर कब्जेअनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार विभाजन किये जाने की डिक्री फरमाने का वाद पत्र वादीगण द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

वादीगण का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, पत्रावली में तलबी में विचाराधीन होने पर उक्त पत्रावली को लोक अदालत कैम्प धामंचा पर दिनांक 19.06.2018 को रखाया जाकर लोक अदालत की भावना से प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान को सुना जाकर न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये :-

अतः वाद वादीगण अ.धा. 53-88 राज.काश्त. अधि. का लोक अदालत भावना से स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है, तहसीलदार, बेगू को 1000/- रुपये की फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा गोविन्दपुरा की वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की खाता संख्या 134 की आराजी संख्या 297, 298, 358, 359, 366, 370, 371, 372, 375, 376, 377, 381, 384, 385, 387, 388, 389, 661, 662, 724, 725, 726 में वादीगण संख्या 1 का 1/12 हक हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/12 हक हिस्सा व आराजी संख्या 414 रकबा 0.551 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हक हिस्सा व खाता संख्या 135 की आराजी संख्या 658 में वादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/12 हक हिस्सा व खाता संख्या 140 में आराजी संख्या 659, 660 में वादी संख्या 1 का 1/12 हक हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/12 हक हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का जमाबंदी में अंकित हक हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि का मौके पर कब्जेअनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार विभाजन किया जाकर फर्द बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शाट्रेस दो प्रति में पालना भिजवाने हेतु आदेश दिया गया।

उक्त आदेश की पालना में प्राथमिक डिक्री प्रति तहसीलदार बेगू को लोक अदालत कैम्प पर वास्ते पालनार्थ दी गई जिसकी पालना में पत्रावली तहसीलदार बेगू द्वारा उनके पत्र क्रमांक 573 दिनांक 31.08.2020 से फर्द बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शाट्रेस के साथ पत्रावली में प्रस्तुत की गई। पत्रावली में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर अधिवक्त वादीगण की बहस को सुना गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रकरण में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए दावा मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार करते हुए अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत फर्द बंटवारा रिपोर्ट को देखा गया, प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री अनुसार होने से वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अ.धा. 53-88 राज.काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है मौजा गोविन्दपुरा की आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किया जाने का आदेश दिया जाता है:-

1- मांगीलाल, कालू पिता भोजा गुर्जर सा.देह खातेदार रहन सहकारी भूमि विकास बैंक लि. चित्तौडगढ शाखा बेगू के खाते में :-

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	लगान
358 मे से	0.041	0.10
366 मे से	0.121	0.22
		3.60
375 मे से	0.060	2.06
381 मे से	0.203	6.91
414 मे से	0.367	2.28
661 मे से	0.267	1.66
660 मे से	0.305	0.76
किता-7	1.364 हैक्टर	17.59

2- गोवर्धन पिता भागचंद्र गुर्जर सा.देह खातेदार रहन चित्तौडगढ स.भू.वि. बैंक लि. शाखा बेगू के खाते :-

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	लगान
358 मे से	0.040	0.10
366 मे से	0.122	0.22
		3.60
375 मे से	0.061	2.07
381 मे से	0.202	6.90
		0.06
661 मे से	0.267	1.65
	0.129	0.80

रामचन्द्र पिता गौरीलाल गुर्जर सा.देह खातेदार के खाते में		
आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	लगान
297	0.024	—
298	0.016	—
372	0.316	1.21
		7.74
377	0.218	7.43
384	0.413	14.08
388	0.032	0.08
724	0.138	0.86
658 मे से	0.450	1.12
किता-8	1.607 हैक्टर	32.52

4- रामबक्ष पिता कजोड गुर्जर सा.देह खातेदार रहन आईसीआईसी बैंक शाखा बेगू		
आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	लगान
359	0.065	0.16
370	0.097	0.24
371	0.308	1.10
		7.74
376	0.129	4.40
385	0.470	16.03
389	0.032	0.08
414 मे से	0.184	1.14
662	0.470	2.91
726	0.129	0.80
659	0.543	1.35
किता-10	2.427 हैक्टर	35.95

5- श्री धर्मकुमार पिता मोहनलाल जैन साकिन चेची खातेदार के खाते		
आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	लगान
658 मे से	0.036	0.09
किता-1	0.036 हैक्टर	0.09

खातेदार शैतान माता कौशल्या द्वारा अपने मामा रामबक्ष पिता कजोड के पक्ष में रजिस्टर्ड हकत्याग ना.सं. 848 दिनांक 20.07.2018 से किया गया है तथा इसी प्रकार नामा.सं. 895 दिनांक 09.06.20 से आराजी संख्या 658 मे केशीबाई का हिस्सा 1/9 का विक्रय रामचन्द्र पिता गौरु गुर्जर को किया गया है तथा इसी प्रकार आराजी संख्या 659 व 660 मे भी केशीबाई व बगदीराम द्वारा अपने हिस्से का विक्रय रामचन्द्र पिता गौरु गुर्जर को विक्रय करने से इन खातेदारो की भूमि का अंकन हकग्रहिता व क्रेता खातेदारान के कब्जे वाशत में होने से इनके भूमि को जोड दी गई है खातेदार द्वारा बताया गया कि आराजी संख्या 414 की पश्चिमी मेड पर होकर तथा आराजी संख्या 385 की दक्षिणी मेड पर होकर खातेदार आराजी संख्या 387 व 388 अपने अपने खेत मे जायेगें तथा इसी प्रकार आराजी संख्या 414 की मेर के सहारे सहारे उक्त आराजीयात में आपसी सहमति से आयेगें जायेगें।

उपरोक्तानुसार बंटवारा का अंकन राजस्व रेकार्ड में किया जाकर खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजास सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
बेगू जिला चित्तौड़गढ़

दावा संख्या : 73/2018

1. मांगीलाल पिता भोजा जी गुर्जर निवासी गोविन्दपुरा
2. कालू पिता भोजा जी गुर्जर निवासी गोविन्दपुरा

वादीगण

बनाम

1. गोवर्धन पिता भागचन्द्र गुर्जर निवासी गोविन्दपुरा
2. रामचन्द्र पिता गौरीलाल गुर्जर निवासी गोविन्दपुरा
3. रामबक्ष पिता कजोड जी गुर्जर निवासी गोविन्दपुरा
4. शैतान माता कौशलया नाना कजोड जी गुर्जर निवासी खोखरा
5. केशीबाई पिता भज्जा जी गुर्जर निवासी गोविन्दपुरा
6. धर्मकुमार पिता मनोहरलाल जैन निवासी चेची
7. बगदीराम पिता नन्दा जी गुर्जर निवासी गोविन्दपुरा
8. श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगू
9. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय प्रतिनिधि राज0 सरकार

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण माली की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद अ.धा. 53-88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 05.01.2021 को पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार जाटव सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादीगण का अ.धा. 53-88 राज.का.तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है मौजा गोविन्दपुरा की आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किया जाने का आदेश दिया जाता है:-

1- मांगीलाल, कालू पिता भोजा गुर्जर सा.देह खातेदार रहन सहकारी भूमि विकास बैंक लि. चितौडगढ़ शाखा बेगू के खाते में :-

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	लगान
358 मे से	0.041	0.10
366 मे से	0.121	0.22
		3.60
375 मे से	0.060	2.06
381 मे से	0.203	6.91
414 मे से	0.367	2.23
661 मे से	0.267	1.63
660 मे से	0.305	0.73
किता-7	1.364 हैक्टर	17.53

2- गोवर्धन पिता भागचन्द्र गुर्जर सा.देह खातेदार रहन चितौडगढ़ स.भू.वि. बैंक लि. शाखा बेगू के खाते :-

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	लगान
358 मे से	0.040	0.10
366 मे से	0.122	0.22
		3.60
375 मे से	0.061	2.07
381 मे से	0.202	6.90
		0.06
661 मे से	0.267	1.65
725	0.129	0.30
660 मे से	0.366	0.90
किता-8	1.211 हैक्टर	16.30

3- रामचन्द्र पिता गौरीलाल गुर्जर सा.देह खातेदार के खाते में

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	लगान
297	0.024	-
298	0.016	-
372	0.316	1.21
		7.74
		7.43
377	0.218	14.08
384	0.413	0.08
388	0.032	0.86
724	0.138	1.12
658 मे से	0.450	
किता-8	1.607 हैक्टर	32.52

4- रामबक्ष पिता कजोड गुर्जर सा.देह खातेदार रहन आईसीआईसी बैंक शाखा बेगू

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	लगान
359	0.065	0.16
370	0.097	0.24
371	0.308	1.10
		7.74
		4.40
376	0.129	16.03
385	0.470	0.08
389	0.032	1.14
414 मे से	0.184	2.91
662	0.470	0.80
726	0.129	1.35
659	0.543	
किता-10	2.427 हैक्टर	35.95

5- श्री धर्मकुमार पिता मोहनलाल जैन साकिन चेची खातेदार के खाते

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	लगान
658 मे से	0.036	0.09
किता-1	0.036 हैक्टर	0.09

खातेदार शैतान माता कौशल्या द्वारा अपने मामा रामबक्ष पिता कजोड के पक्ष में रजिस्टर्ड हकत्याग ना.सं. 848 दिनांक 20.07.2018 से किया गया है तथा इसी प्रकार नामा.सं. 895 दिनांक 09.06.20 से आराजी संख्या 658 मे केशीबाई का हिस्सा 1/9 का विक्रय रामचन्द्र पिता गौरु गुर्जर को किया गया है तथा इसी प्रकार आराजी संख्या 659 व 660 मे भी केशीबाई व बगदीराम द्वारा अपने हिस्से का विक्रय रामचन्द्र पिता गोरु गुर्जर को विक्रय करने से इन खातेदारों की भूमि का अंकन हकग्रहिता व कंटा खातेदारान के कब्जे काश्त में होने से इनके भूमि को जोड दी गई है खातेदार द्वारा बताया गया कि आराजी संख्या 414 की पश्चिमी मेड पर होकर तथा आराजी संख्या 385 की दक्षिणी मेड पर होकर खातेदार आराजी संख्या 387 व 388 अपने अपने खेत मे जायेगें तथा इसी प्रकार आराजी संख्या 414 की मेर के सहारे सहारे उक्त आराजीयात में आपसी सहमति से आयेगें जायेगें।

उपरोक्तानुसार बंटवारा का अंकन राजस्व रेकार्ड में किया जाकर खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मूद्रा से जारी की गई है।

(मनीष कुमार जाटव)  
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
बेगू जिला चित्तौड़गढ़

अंतिम डिक्री की पालना हेतु भिजवाई जाती